कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 1185 /अलीगढ़/27643/2017, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 26 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : अलीगढ़ में दिल्ली–अलीगढ़ मार्ग (एन0एच0–91) किमी0 126 चैनेज 125.910 की दायीं पटरी पर ग्राम–सिकन्दरपुर शुकरावली के खसरा संख्या–28 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेत 0.055668 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–1233/14–1, दिनांक 12.10.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–3 की सूचना अंकित नहीं है।

2– प्रस्तावित वनभूमि की गणना में निकासी मार्ग एवं कर्व भाग की गणना का योग 210.58 के स्थान पर 210.52 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।

3– प्रस्तावित वनभूमि की गणना में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग, एवं मध्य भाग की गणना में निकासी भाग का क्षेत्रफल 210.58 वर्गमी0 के स्थान पर 210.585 वर्गमी0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

4– गैर वनभूमि की गणना में क्षेत्रफल 625 वर्गमी0 के स्थान पर 325 वर्गमी0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 23.06.2017 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त का भी संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं **समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर** त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

26/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

26/10

पत्रांक– 1185 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्लाट सी–1, रोड नं0–26, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

26/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

26/10

Q